न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला सांचौर

(पीठासीन अधिकारी हनुमाना राम आर.ए.एस.)

मुकदमा नंम्बरः– 02/2024

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
भजनलाल दतकपुत्र फगलूराम जातियान विश्नोई निवासीगण मेघावा तहसील चितलवाना जिला सांचौर	बनाम	राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार चितलवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः:–

1 श्री मनीराम विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2 अप्रार्थी राज पेरोकार तहसीलदार चितलवाना

निर्णय

दिनांक 06/02/2024

1. प्रकरण के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपाठित धारा 128 आर.एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा मेघावा पटवार हल्का वीरावा तहसील चितलवाना में स्थित प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जाकाश्तसुदा मालिकाना हक हकूक के खेत खाता संख्या 151 के खसरा संख्या 254 रकबा 1.06 हैक्टर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है जो जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 से प्रमाणित है। उक्त आराजी का प्रार्थी सदैव लगान अदा करता आ रहा हैं तथा गिरदावरी भी प्रार्थी के नाम से तज्वीज होती आ रही है तथा उक्त आराजी का प्रार्थी शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी के खातेदारी कब्जा काश्त के उक्त खेत नक्शे में अलग तरमीमसुदा आया हुआ है। लेकिन उक्त खेत की दक्षिणी–पश्चिम माठ के पास में सरकारी भूमि खसरा नम्बर 253 की आयी हुई है। सरकारी भूमि एवं प्रार्थी के खेत के खसरा संख्या 254 की सीमा से अस्थायी रास्ता चल रहा है। जिस कारण मुझ प्रार्थी के हिस्से की भूमि की दक्षिण पश्चिमी माठ व सरकारी भूमि की माठ अस्थायी होने से मौके पर विवाद की स्थिति एवं काश्त करने में भारी अवरोध पैदा हो जाता है। जिससे प्रार्थी खातेदार उक्त विवाद को लेकर झगड़ा–टंटा करने में विश्वास नही रखता हैं। जिससे प्रार्थी अपने खेत की दक्षिणी–पश्चिमी माठ की नेखमबन्दी (पत्थरगड्डी) करवाना चाहते हैं। जिससे हमेशा के लिए विवाद नही रहे तथा मौके पर आये दिन प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत की माठ का विवाद रहता है इसका स्थाई हल मात्र खेत की दक्षिणी–पश्चिमी माठ को स्थायी नेखमबन्दी, पत्थर चीणें, दीवार आदि होकर ही हो सकता है। अतः मौजा मेघावा पटवार हल्का वीरावा तहसील चितलवाना में स्थित प्रार्थी का खातेदारी एवं कब्जाकाश्त मालिकाना हक हकूक के खेत खाता संख्या 151 के खसरा संख्या 254 रकबा 1.06 हैक्टर किस्म बारानी सोयम के लगते खसरा संख्या 253 के मध्य प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 254 के दक्षिणी पश्चिमी माठ नक्शे में तरमीम अनुसार सीमा का स्थायी नेखमबन्दी हेतु पत्थर गड्डी चीणों से करने का आदेश तहसीलदार चितलवाना को [illegible] जारी [illegible] तथा आवश्यकतानुसार समुचित पुलिस इमदाद भी पुलिस थाना चितल[illegible] से [illegible]आयी जाकर उक्त खेत की सीमा की स्थायी नेखमबन्दी करवा[illegible] का आदेश [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 14:30:40 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रत्युतर में अप्रार्थी राज पेरोकार [illegible] द्वारा जवाब प्रार्थना [illegible] किया कि ग्राम मेघावा के खसरा संख्या 254 प्रार्थी [illegible] खातेदारी एवं खसरा 253 राज्य सरकार के खाते में है। खसरा संख्या 254 व 253 की दिनांक 14/04/2023 के आदेश से पटवारी रिपोर्ट के अनुसार विरोध के कारण दक्षिणी–पश्चिमी माठ कि पैमाइश नही हो सकी। उक्त खसरा नम्बरान की नेखमबंदी की जानी उचित रहेगी, जिससे सरकारी खाते में दर्ज भूमि व प्रार्थी की भूमि के मध्य स्थायी माठ कायम हो जायेगी। अतः अप्रार्थी को प्रार्थी के रेकर्ड में दर्ज भूमि की

उपखण्ड अधिकारी

नेखमबन्दी/पत्थरगड्डी किये जाने में कोई एतराज नही हैं तथा राजकीय हितो पर कोइ भी विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा।

3. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का श्रवण किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन एवं अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में नेखमबन्दी किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की है। अतः राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शा में तरमीम अनुसार पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी मालिकाना हकहकूक व कब्जाकाश्त की भूमि मौजा मेघावा, पटवार हल्का वीरावा तहसील चितलवाना के खाता संख्या 151 के खसरा संख्या 254 रकबा 1.06 हैक्टर बारानी सोयम के लगते खसरा संख्या 253 के मध्य प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 254 के दक्षिणी पश्चिमी माठ नक्शे में तरमीम अनुसार सीमा का स्थायी नेखमबन्दी हेतु पत्थर गड्डी चीणों से करने का आदेश तहसीलदार चितलवाना के नाम जारी किया जाता है। तहसीलदार चितलवाना मौके पर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी कर पालना से न्यायालय को अवगत करावें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार चितलवाना को जारी हो। पक्षकार खर्चा अपना-अपना वहन करे।

(हनुमानाराम आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 06/02/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 14:30:40 IST
Reason: SelfAttested